

14.5.19. वादी के वकील उपस्थित होने के समय पर उक्त कार्य कार्रवाई किया जाने के उद्देश्य से श्री-प्रेस नर सिन्हा वकील वादी के विशेष अध्यापक को संज्ञित किया गया कि गणपत बागों के डे-डायर-देम नहीं होगा वरन् 14.5.19 के पत्र के

सहायक कलेक्टर (SDO) बाड़मेर

14.05.19

वकील वादी उरगी वकील वादी को पर्याप्त क्वॉल्ट चिये जाने के उपरान्त श्री-साफिके डाइरेक्टर को पूर्व वादीवाण को तलबो हेतु तम्बन तलबाना मय उरके क्वॉल्ट चिये गली किया जा रहा है इस प्रकार गणपत को आडोके वासी को पालना हुनिश्चित गली की जा रही है।

उक्त वादी का यह वाड 0-92-5 CPC में वर्जित प्राधान्य के अन्तर्गत क्वॉल्ट पालना में आविर्जित किया जाता है। पत्रवाली हुम्न फुल्ल रोग दाखल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बाड़मेर